

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम- पटना, छपरा एवं मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक- ०३/०१/१४

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त पथ निर्माण मद से संबंधित कुल ₹1085.39600 लाख (दस करोड़ पचासी लाख उनचालीस हजार छः सौ रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹86.36275 लाख (छियासी लाख छत्तीस हजार दो सौ पचहत्तर रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त पथ निर्माण मद से संबंधित स्तम्भ- 03 में अंकित योजनाओं के लिए स्तम्भ- 04 के अनुरूप कुल ₹1085.39600 लाख (दस करोड़ पचासी लाख उनचालीस हजार छः सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 05 के अनुरूप तत्काल कुल ₹86.36275 लाख (छियासी लाख छत्तीस हजार दो सौ पचहत्तर रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०-^{४९} दिनांक-^{०३/०१/१४}के में आलोक सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	पटना नगर निगम	वार्ड सं०-30 अंतर्गत संजय नगर रोड नं०-10 में श्री राम प्रवेश यादव के मकान से श्री राजकुमार शर्मा के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	23.19400	11.59700	11.59700
2		वार्ड नं०-55 अंतर्गत भागवत नगर के सृष्टि विहार कॉलोनी रोड नं०- 01 में श्री बी० कुमार के मकान से श्री लाला पंकज कुमार के मकान तक भू-गर्भ नाला एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	12.44900	6.22450	6.22450
योग (क)			35.64300	17.82150	17.82150
3	नगर निगम, छपरा	सरकारी बस स्टैंड कोन्हीया माई मंदिर से अम्बेदकर छात्रावास होते हुए जंक्शन तक जाने वाली सड़क निर्माण का कार्य।	40.40300	5.00000	35.40300

4	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	वार्ड नं०- 02 लक्ष्मी चौक शम्भू साह के घर से एन०एच०- 28 चाँदनी चौक तक पथ-सह-नाला निर्माण कार्य।	83.67100	5.00000	78.67100	
5		वार्ड नं०- 47, बी०एम०पी०- 06 मालीघाट मुख्य पथ में पीक एण्ड यूज मॉल से न्यू दूर्गापूरी मुहल्ला के मुख्य पथ के साथ साथ पथ संख्या- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हुए शास्त्रीनगर ए०के० दास के घर तक पथ-सह-नाला निर्माण कार्य।	162.24700	10.00000	152.24700	
6		वार्ड नं०- 36, मुहल्ला मदनानी लेन मुसकान गर्ल्स हॉस्टल से गोपाल द्विवेदी के घर होते हुए भाया, अमल जी आवास एवं राजू जी के घर तक पथ-सह-नाला निर्माण कार्य।	59.01500	5.00000	54.01500	
7		वार्ड नं०- 14, अखाड़ाघाट मेन रोड सुधा पार्लर से काली मंदिर सिकंदरपुर भाया शिव मंदिर, राधादेवी बालिका उच्च विद्यालय होते हुए विकानेर एण्ड जयपुर बैंक तक पथ-सह-नाला निर्माण कार्य।	215.28300	10.00000	205.28300	
8		वार्ड नं०- 49, बेला मुख्य पथ से मुहल्ला नागेन्द्र नगर लेन नं०- 01 में पथ-सह-नाला निर्माण कार्य।	53.24300	5.00000	48.24300	
9		वार्ड नं०- 15, बांध मुख्य पथ से आश्रमघाट मुहल्ला में स्वतंत्रता सेनानी राम चरित्र सहनी पथ में पथ निर्माण कार्य।	135.45800	10.00000	125.45800	
10		वार्ड नं०- 09 चक्कर चाँदमारी गया ठाकुर दिवाकर के घर से कर्नल बी०एन० शर्मा के घर होते हुए नौतीयाल के घर तक पथ-सह-नाला निर्माण कार्य।	57.17700	5.00000	52.17700	
11		बालुघाट दूलानी से ब्रह्मस्थान चौक होते हुए डॉ० कपिलदेव सिंह के घर भाया प्रदुमन रजक, रामलखन लाल कर्ण के घर से दाहिने डॉ० बी०के० चौधरी के घर तक सड़क तथा नाला निर्माण।	243.25600	13.54125	229.71475	
योग (ख)			1049.75300	68.54125	981.21175	
कुल योग (क+ख)			1085.39600	86.36275	999.03325	

अर्थात् कुल आवंटित राशि कुल ₹86.36275 लाख (छियासी लाख छत्तीस हजार दो सौ पचहत्तर रु०) मात्र।

2. तालिका के क्रमांक- 1, 2 एवं 3 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों द्वारा किया जायेगा।

3. उक्त आवंटित कुल ₹86.36275 लाख, (छियासी लाख छत्तीस हजार दो सौ पचहत्तर रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 एवं पत्रांक- 942, दिनांक- 01.09.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। तालिका के क्रमांक- 1, 2 एवं 3 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा कराया जायेगा, नगर निगम,

(४)

मुजफ्फरपुर से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर द्वारा कराया जायेगा, जिसके लिए आवंटित राशि की निकासी कर नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा राशि का हस्तांतरण जिला शहरी विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर को किया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। आवंटित राशि नगर निकाय/जिला शहरी विकास अभिकरण के पी०एल० खाता में ही संधारित की जायेगी।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. कुल आवंटित राशि ₹86.36275 लाख (छियासी लाख छत्तीस हजार दो सौ पचहत्तर रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी:-

(क) आवंटित कुल राशि ₹86.36275 लाख (छियासी लाख छत्तीस हजार दो सौ पचहत्तर रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 02 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल ₹17.82150 लाख (सत्रह लाख बेरासी हजार एक सौ पचास रु०) मात्र की राशि की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष, 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0109-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2217011910109, विषय शीर्ष 0109.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) आवंटित कुल राशि ₹86.36275 लाख (छियासी लाख छत्तीस हजार दो सौ पचहत्तर रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 03 से 11 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल ₹68.54125 लाख (अड़सठ लाख चौवन हजार एक सौ पचीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष, 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0116-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड- 48-2217011910116, विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

6. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

(i) तालिका के क्रमांक- 1, 2 एवं 3 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों द्वारा किया जायेगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

- (iv) योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।
- (v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।
7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

05.12.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2017 १० /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-०३/०१/१४

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.12.17

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*** अनौपचारिक
रूप से परामर्शित**

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 03/01/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त पथ निर्माण मद से संबंधित कुल ₹1085.39600 लाख (दस करोड़ पचासी लाख उनचालीस हजार छः सौ रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹86.36275 लाख (छियासी लाख छत्तीस हजार दो सौ पचहत्तर रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त पथ निर्माण मद से संबंधित स्तम्भ- 03 में अंकित योजनाओं के लिए स्तम्भ- 04 के अनुरूप कुल ₹1085.39600 लाख (दस करोड़ पचासी लाख उनचालीस हजार छः सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 05 के अनुरूप तत्काल कुल कुल ₹86.36275 लाख (छियासी लाख छत्तीस हजार दो सौ पचहत्तर रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	पटना नगर निगम	वार्ड सं०-30 अंतर्गत संजय नगर रोड नं०-10 में श्री राम प्रवेश यादव के मकान से श्री राजकुमार शर्मा के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	23.19400	11.59700	11.59700
2		वार्ड नं०-55 अंतर्गत भागवत नगर के सृष्टि विहार कॉलोनी रोड नं०- 01 में श्री बी० कुमार के मकान से श्री लाला पंकज कुमार के मकान तक भू-गर्भ नाला एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	12.44900	6.22450	6.22450
योग (क)			35.64300	17.82150	17.82150
3	नगर निगम, छपरा	सरकारी बस स्टैंड कोन्हीया माई मंदिर से अम्बेदकर छात्रावास होते हुए जंक्शन तक जाने वाली सड़क निर्माण का कार्य।	40.40300	5.00000	35.40300

4	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	वार्ड नं०- 02 लक्ष्मी चौक शम्भू साह के घर से एन०एच०- 28 चाँदनी चौक तक पथ-सह-नाला निर्माण कार्य।	83.67100	5.00000	78.67100	
5		वार्ड नं०- 47, बी०एम०पी०- 06 मालीघाट मुख्य पथ में पीक एण्ड यूज मॉल से न्यू दूर्गापुरी मुहल्ला के मुख्य पथ के साथ साथ पथ संख्या- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हुए शास्त्रीनगर ए०के० दास के घर तक पथ-सह-नाला निर्माण कार्य।	162.24700	10.00000	152.24700	
6		वार्ड नं०- 36, मुहल्ला मदनानी लेन मुसकान गर्ल्स हॉस्टल से गोपाल द्विवेदी के घर होते हुए भाया, अमल जी आवास एवं राजू जी के घर तक पथ-सह-नाला निर्माण कार्य।	59.01500	5.00000	54.01500	
7		वार्ड नं०- 14, अखाड़ाघाट मेन रोड सुधा पार्लर से काली मंदिर सिकंदरपुर भाया शिव मंदिर, राधादेवी बालिका उच्च विद्यालय होते हुए विकानेर एण्ड जयपुर बैंक तक पथ-सह-नाला निर्माण कार्य।	215.28300	10.00000	205.28300	
8		वार्ड नं०- 49, बेला मुख्य पथ से मुहल्ला नागेन्द्र नगर लेन नं०- 01 में पथ-सह-नाला निर्माण कार्य।	53.24300	5.00000	48.24300	
9		वार्ड नं०- 15, बांध मुख्य पथ से आश्रमघाट मुहल्ला में स्वतंत्रता सेनानी राम चरित्र सहनी पथ में पथ निर्माण कार्य।	135.45800	10.00000	125.45800	
10		वार्ड नं०- 09 चक्कर चाँदमारी गया ठाकुर दिवाकर के घर से कर्नल बी०एन० शर्मा के घर होते हुए नौतीयाल के घर तक पथ-सह-नाला निर्माण कार्य।	57.17700	5.00000	52.17700	
11		बालुघाट दूलानी से ब्रह्मस्थान चौक होते हुए डॉ० कपिलदेव सिंह के घर भाया प्रदुमन रजक, रामलखन लाल कर्ण के घर से दाहिने डॉ० बी०के० चौधरी के घर तक सड़क तथा नाला निर्माण।	243.25600	13.54125	229.71475	
योग (ख)			1049.75300	68.54125	981.21175	
कुल योग (क+ख)			1085.39600	86.36275	999.03325	

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹86.36275 लाख (छियासी लाख छत्तीस हजार दो सौ पचहत्तर रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. तालिका के क्रमांक- 1, 2 एवं 3 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों द्वारा किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत कुल ₹86.36275 लाख (छियासी लाख छत्तीस हजार दो सौ पचहत्तर रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 एवं पत्रांक- 942, दिनांक- 01.09.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। तालिका के क्रमांक- 1, 2 एवं 3 पर अंकित

4

योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा कराया जायेगा, नगर निगम, मुजफ्फरपुर से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर द्वारा कराया जायेगा, जिसके लिए आवंटित राशि की निकासी कर नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा राशि का हस्तांतरण जिला शहरी विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर को किया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। आवंटित राशि नगर निकाय/जिला शहरी विकास अभिकरण के पी०एल० खाता में ही संधारित की जायेगी।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. कुल स्वीकृत राशि ₹86.36275 लाख (छियासी लाख छत्तीस हजार दो सौ पचहत्तर रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी:-

(क) स्वीकृत कुल राशि ₹86.36275 लाख (छियासी लाख छत्तीस हजार दो सौ पचहत्तर रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 02 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल ₹17.82150 लाख (सत्रह लाख बेरासी हजार एक सौ पचास रु०) मात्र की राशि की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष, 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0109-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2217011910109, विषय शीर्ष 0109.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) स्वीकृत कुल राशि ₹86.36275 लाख (छियासी लाख छत्तीस हजार दो सौ पचहत्तर रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 03 से 11 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल ₹68.54125 लाख (अड़सठ लाख चौवन हजार एक सौ पचीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष, 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0116-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड- 48-2217011910116, विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

6. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) तालिका के क्रमांक- 1, 2 एवं 3 पर अंकित योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा तथा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरणों द्वारा किया जायेगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

- (iv) योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।
- (v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।
7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/सड़क-09-01/2017 के पृष्ठ सं०-16...../टि० पर दिनांक-26.12.17..... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-17...../टि० पर दिनांक-27.12.17..... को प्राप्त है।
10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2017 89 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 03/01/18

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।